



थाना-गम्भीरपुर, जनपद-आजमगढ़

फर्जी पुलिस अधिकारी (सी0ओ0) बनकर शराब का ठेका दिलाने के नाम पर ₹3.20 लाख की मांग कर ₹90 हजार की साइबर ठगी करने वाला पांचवीं पास अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 02 कूटरचित पुलिस अधिकारी पहचान पत्र, शराब ठेका का कूटरचित आवंटन पत्र, पुलिस वर्दी सेट एवं मोबाइल फोन बरामद

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक ***17.09.2026*** को वादी ***रविप्रकाश पुत्र रामनरायण, निवासी सादीसराय, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़*** द्वारा थाना गम्भीरपुर पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त संजय द्वारा स्वयं को पुलिस का सी0ओ0 अधिकारी बताकर शराब का ठेका दिलाने के नाम पर उससे ***₹3,20,000/- की*** मांग की गयी तथा दिनांक 30.08.2026 को ***₹90,000/- नगद*** लिये गये। शेष धनराशि दिनांक 02.09.2026 तक देने की बात कही गयी। दिनांक 01.09.2026 को अभियुक्त द्वारा पुलिस की वर्दी पहनकर मोबाइल फोन से वीडियो कॉल की गयी। शक होने पर वादी द्वारा अभियुक्त के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो उसके पुलिस अधिकारी न होने की जानकारी हुई। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर ***मु0अ0सं0 226/2026 धारा 318(4), 319(2) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट बनाम संजय*** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम दिनांक 18.09.2026 को थाना गम्भीरपुर पुलिस एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु कार्यवाही की गयी। मुखबिर खास की सूचना एवं अभियुक्त की लोकेशन के आधार पर रानीपुर रजमों मोड़ के पास से अभियुक्त ***संजय पुत्र स्व0 श्रीराम, निवासी मगरावा, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 40 वर्ष*** को समय करीब 12.10 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से ***02 अदद कूटरचित पुलिस अधिकारी पहचान पत्र, 01 अदद शराब ठेका का कूटरचित आवंटन पत्र, 01 अदद पुलिस वर्दी सेट एवं 01 अदद मोबाइल फोन*** बरामद किया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. संजय पुत्र स्व0 श्रीराम, निवासी मगरावा, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 40 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 226/2026 धारा 318(4), 319(2) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास:-

- 01. मु0अ0सं0 174/2017 धारा 420 भादवि, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
- 02. मु0अ0सं0 226/2026 धारा 318(4), 319(2) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

- 1. 02 अदद कूटरचित पुलिस अधिकारी पहचान पत्र।
- 2. 01 अदद शराब ठेका का कूटरचित आवंटन पत्र।
- 3. 01 अदद पुलिस वर्दी सेट।
- 4. 01 अदद मोबाइल फोना।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

थाना गंभीरपुर, जनपद आजमगढ़	सर्विलांस सेल, आजमगढ़
01. थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी	01. प्रभारी साइबर सेल, उ0नि0 रवि प्रकाश गौतम
02. का0 शनि कुमार	02. मु0आ0 ओमप्रकाश जायसवाल
03. का0 दुर्गेश कुमार	03. का0 श्याम कुमार
	04. का0 अमित सरोज

